कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/प्रारं/साप्र/2773/भामाशाह/2022 दिनांकः 18/07/22

01. समस्त संयुक्त निदेशक संभाग कार्यालय, स्कूल शिक्षा
02. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
03. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा
04. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक कार्यालय

विषय : राज्य/जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 2022 आयोजन के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

प्रसंग : राज्य सरकार का पत्रांक प.17(11) शिक्षा–6/2010/पार्ट जयपुर, दिनांकः 13.03.2018 व 23.06.2022 के क्रम में।

निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/कॉलेज शिक्षा/संस्कृत शिक्षा के अधीन संचालित राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों/माध्यमिक/उ.मा. विद्यालयों/राजकीय संस्कृत विद्यालयों/राजकीय महाविद्यालयों में समय–समय पर दानदाताओं/भामाशाहों/औद्योगिक संस्थानों द्वारा किये गये आर्थिक सहयोग के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के क्रम में एक भव्य/गरिमापूर्ण राज्य स्तरीय कार्यक्रम राज्य की राजधानी जयपुर में तथा जिला स्तरीय कार्यक्रम जिला मुख्यालय पर आयोजित कर इन्हें सम्मानित किया जायेगा। इस हेतु आवेदन पत्र "ज्ञान संकल्प पोर्टल" (www.gyansankalp.nic.in) के माध्यम से आमंत्रित किये जाते है।

राज्य सरकार के द्वारा जारी नवीन भामाशाह योजना दिशा–निर्देश **दिनांक 13.03.2018 के क्रम में निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किए जाते है :–**

भामाशाह व प्रेरक आवेदन के सम्बन्ध में सामान्य दिशा–निर्देश–

01. शिक्षा के क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालयों/विद्यालयों/शिक्षण संस्थाओं के शैक्षिक, सह शैक्षिक एवं भौतिक विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 (1 अप्रेल 2019 से 31 मार्च 2022 तक) अवधि में सहयोग देने वाले दानदाता/भामाशाह को राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाना है–

    (अ) **शिक्षा विभूषण** – एक करोड़ रूपये से अधिक।

    (ब) **शिक्षा भूषण** – 15 लाख रूपये से अधिक व 1 करोड़ रूपये तक।

    एक लाख रूपये से अधिक तथा 15 लाख रूपये तक की धनराशि का सहयोग देने वाले दानदाता/भामाशाह को जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाना है–

    (स) **शिक्षा श्री** – एक लाख रूपये से अधिक तथा 15 लाख रूपये तक।

02. प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा के राजकीय विद्यालयों/शिक्षण संस्थाओं के संबंध में ऐसे दानदाताओं/भामाशाहों/औद्योगिक संस्थाओं के लिए सम्मान समारोह से संबंधित समस्त कार्य नोडल अधिकारी निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा किया जाना है। जिला

स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा समारोह आयोजन के लिए नोडल अधिकारी होंगे।

03. वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 तक) की अवधि में विभाग वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 हेतु भामाशाहों को प्रेरित करने वाले प्रेरकों को निम्नानुसार राज्य व जिला स्तर पर भामाशाह सम्मान में सम्मानित किया जाएगा–

(अ) राज्य स्तरीय प्रेरक सम्मान– 30 लाख या अधिक के कार्य करवाने हेतु प्रेरित करने वाले प्रेरक हेतु

(ब) जिला स्तरीय प्रेरक सम्मान– 5 लाख या अधिक तथा 30 लाख से कम के कार्य करवाने हेतु प्रेरित करने वाले–

दानदाता द्वारा भामाशाह सम्मान हेतु किये गये आवेदन में संबंधित प्रेरक का नाम प्रेरित की गई राशि का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किये जाने की स्थिति में ही आवेदन पर विचार किया जायेगा। यदि किसी प्रेरक ने एक से अधिक दानदाताओं को सहयोग हेतु प्रेरित किया है तो उनके द्वारा प्रेरित भामाशाहों के कुल सहयोग की राशि 30 लाख रूपये एवं इससे अधिक होने एवं प्रेरक द्वारा प्रेरित भामाशाह हेतु आयोजित सम्मान समारोह में सम्मान के लिए चयनित होने पर ही प्रेरक का सम्मान हेतु चयन किया जायेगा।

04. इस वर्ष आयोजित होने वाले राज्य/जिला स्तरीय सम्मान समारोह में दिनांक 01.04.2019 से दिनांक 31.03.2022 (तीन वर्ष) तक की अवधि में वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21 तथा 2021–22 में विभाग द्वारा निर्धारित धनराशि का सहयोग करने वाले ऐसे दानदाता जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भवन निर्माण/अतिरिक्त निर्मित शाला भवनों की मरम्मत अथवा स्थाई साज सामान के रूप में बिन्दु संख्या 01 में वर्णित धनराशि का सहयोग उक्त निर्धारित अवधि में किया है, राज्य/जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान हेतु पात्र होगें तथा बिन्दु संख्या 02 के अनुसार प्रेरित करने वाले प्रेरक राज्य/जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान हेतु पात्र होगें।

05. भामाशाह/प्रेरक द्वारा दिनांक 01.04.2019 से दिनांक 31.03.2022 (तीन वर्ष) तक की अवधि में वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21 तथा 2021–22 के लिए अलग–अलग आवेदन किया जाएगा तथा कार्यपूर्णता की दिनांक के आधार पर वित्तीय वर्ष निर्धारित होकर गणना की जाएगी। कार्य पूर्णता हेतु संस्था द्वारा दिया गया प्रमाण–पत्र तथा साज सामान की स्थिति में विद्यालय सुपुर्दगी की दिनांक के आधार पर गणना की जावेगी। उक्त अवधि से पहले व उपरान्त किया गया सहयोग मान्य नही होगा।

06. एक भामाशाह अथवा प्रेरक द्वारा एक वित्तीय वर्ष के लिए एक ही आवेदन किया जा सकेगा। एक वित्तीय वर्ष के सभी सहयोग को एक ही आवेदन में प्रस्तुत किया जा सकेगा। यदि एक से अधिक भामाशाह द्वारा एक ही प्रेरक का चयन किया है तो भी आवेदन एक ही प्रस्तुत किया जा सकेगा।

07. यदि दानदाता ने भूमि दान कर सम्पूर्ण भवन का निर्माण करवाया है तो उनके द्वारा भवन/भूमि का विधिवत् दानपत्र विभाग के पक्ष में लिखा जाना आवश्यक है। यदि विधिवत दानपत्र विभाग के पक्ष में निष्पादित नही हुआ है तो ऐसे प्रस्ताव अनुशंषित कर नहीं भिजवाये जावें। ऐसी स्थिति में विद्यालय भवन का विद्यालय को सुपुर्दगी पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा

जारी भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र एवं भवन की भूमि सहित सम्पूर्ण लागत राशि का सक्षम स्तर से जारी प्रमाण–पत्र भी आवश्यक रूप से संलग्न किया जाना चाहिए।

08. यदि दानदाता ने विद्यालय राजकीय भूमि पर सम्पूर्ण भवन का निर्माण करवाया है तो विद्यालय भवन का विद्यालय को सुपुर्दगी पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र एवं भवन की भूमि सहित सम्पूर्ण लागत राशि का सक्षम स्तर से जारी प्रमाण–पत्र भी आवश्यक रूप से संलग्न किया जाना चाहिए।

09. यदि किसी दानदाता ने पूर्व में निर्मित भवन/भूमि दान में दी है तो दान में दिए गए भवन/भूमि के दानपत्र की प्रति के साथ उक्त भवन/भूमि की सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुमानित लागत विवरण की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करें। ऐसी स्थिति में यदि विधिवत दानपत्र विभाग के पक्ष में निष्पादित नहीं हुआ है तो ऐसे प्रस्ताव अनुशंषित कर नहीं भिजवाये जावे।

10. यदि किसी दानदाता ने स्थाई साज सामान के रूप में सहयोग दिया हो तो उसके द्वारा उपलब्ध करवाये गये साज सामान की संबंधित विद्यालय/संस्था के स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज कर यह प्रमाण पत्र देना होगा कि संबंधित दानदाता द्वारा इस योजना में दिये गये साज सामान का स्टॉक रजिस्टर में विधिवत् इन्द्राज कर लिया गया है।

11. सिविल के कार्यो के मूल्यांकन के संबंध में संबंधित जिले के अतिरिक्त जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा के सिविल शाखा से सहयोग लिया जाकर अनुमोदन की कार्यवाही की जावेगी। इस कार्य हेतु अतिरिक्त जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा अपने जिले के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से सहयोग प्राप्त कर सकेंगे।

12. भामाशाह से तात्पर्य दानपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अथवा मूल सहयोग देने वाले दानदाता से ही है। यदि किसी दानदाता की मृत्यु हो जाती है तो उनको यह सम्मान (मरणोपरान्त) उसी दानदाता के नाम से ही दिया जावेगा। ऐसे दानदाताओं के प्रस्ताव में संक्षिप्त जीवन परिचय भिजवाते समय ध्यान रखा जावे कि फोटोग्राफ एवं परिचय ऐसे मूल दानदाता के ही भेजे जाऐं। इनका सम्मान उनके नवीनतम फोटो सहित अधिकृत पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ लगावे एवं भेजे जाने वाले प्रस्ताव में भी इसका स्पष्ट उल्लेख करें।

13. यदि दानदाता कोई ट्रस्ट, संस्था या कंपनी है तो इन्हें दिए जाने वाला प्रशस्ति पत्र ट्रस्ट, संस्था या कंपनी के नाम से ही दिया जाएगा। ट्रस्ट, संस्था या कंपनी किसी भी कार्मिक/व्यक्ति को सम्मान लेने हेतु अधिकृत कर सकेगी।

14. मुख्यमंत्री जनसहभागिता विद्यालय विकास योजना के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 1 में वर्णित राशि के अनुसार विद्यालय मरम्मत कार्य/अतिरिक्त निर्माण कार्य/नकद आदि में योगदान देने वाले दानदाता इस सम्मान हेतु पात्र होगें।

15. भामाशाहों के प्रस्ताव के साथ संबंधित दानदाताओं द्वारा आवेदन पत्र में उनके द्वारा उल्लेखित सहयोग राशि की पुष्टि से संबंधित दस्तावेज/सहयोग विवरण हेतु निर्धारित प्रपत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न नही होगा तो ऐसे प्रस्ताव अस्वीकृत किये जा सकते है।

16. कतिपय ऐसे प्रकरण जिनमे एक से अधिक दानदाताओं ने निर्धारित राशि का सहयोग किया है तो ऐसे प्रकरणों में संबंधित दानदाता से लिखित सहमति प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें कि किस भामाशाह को सम्मानित किया जाना है। विभाग द्वारा केवल एक दानदाता को

ही सम्मानित किया जायेगा यदि एक से अधिक दानदाताओं ने संयुक्त रूप से सहयोग किया है तो दानदाता की लिखित सहमति प्राप्त होने पर ही उनके द्वारा सहमत दानदाता को सम्मानित किया जावेगा। प्रशस्ति पुस्तिका में सम्मानित होने वाले ही दानदाता का फोटो एवं परिचय प्रकाशित किया जावेगा।

17. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.4(7) शिक्षा–/2014 दिनांक 11.01.17 के द्वारा राजकीय विद्यालयों के विकास हेतु सीएसआर के अन्तर्गत विभिन्न औद्योगिक संस्थानों एवं दानदाताओं/जनसमुदाय से सहयोग प्राप्त करने हेतु ज्ञान संकल्प पोर्टल एवं मुख्यमंत्री विद्यादान कोष की स्थापना की गई है। इस योजनान्तर्गत भामाशाह/दानदाताओं/ औद्योगिक संस्थानों द्वारा विद्यालय में करवाये गये विकास कार्यो के लिए योगदान करने एवं निर्धारित पात्रता पूरी करने पर भामाशाह सम्मान समारोह हेतु भी पात्र होंगे।

18. दान एवं सहयोग राशि के लिए एक विद्यालय को एक इकाई माना जायेगा। एक वित्तीय वर्ष में किये गये सहयोग/दान को एक साथ वर्षवार अंकित किया जा सकेगा।

19. भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थानों द्वारा सम्बन्धित शाला प्रधान (प्रधानाध्यापक /प्रधानाचार्य) को लिखित में अवगत करवाये जाने पर कि उनके द्वारा प्रदत्त योगदान हेतु प्रेरित करने वाले व्यक्ति का विवरण लिखित में सम्बन्धित संस्थाप्रधान को उपलब्ध करवाये जाने पर संस्था–प्रधान द्वारा तथ्य की पुष्टि स्वयं के स्तर पर की जायेगी तथा सही पाये जाने पर सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक/माध्यमिक को शाला प्रेरक हेतु निर्धारित आवेदन पत्र में सम्मानित किये जाने हेतु प्रेरक के नाम की अनुशंषा की जायेगी।

20. निर्धारित तिथि के बाद प्रेषित किये जाने वाले किसी भी प्रस्ताव पर विचार किया जाना संभव नही होगा। निर्धारित आवेदन पत्र के फॉर्म में सभी कॉलम पूरे भरे होने आवश्यक है। आधे–अधूरे, अपूर्ण प्रस्ताव अस्वीकृत किये जा सकते है। यदि कोई भामाशाह या प्रेरक प्रस्ताव के अभाव में सम्मान से वंचित रहता है तो उसका उत्तरदायित्व सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी एवं सम्बन्धित मण्डल अधिकारी का होगा। अतः हर संभव प्रयास किया जाए कि सभी भामाशाहों को इस सम्बन्ध में सूचना प्रेषित हो जावें।

21. प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, जनप्रतिनिधि को प्रेरक के रूप से सम्मान हेतु प्रस्ताव प्रेषित नही किए जावें। दानदाता द्वारा ऐसे व्यक्तियों का चयन नहीं किया जावें।

22. भामाशाह एवं प्रेरकों को सम्मान हेतु चयन बाबत् निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर (राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी) द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। यदि किसी भामाशाह एवं प्रेरक का प्रस्ताव सम्मान हेतु चयनित नही किया जाता है तो ऐसे प्रकरणों में किसी भी प्रकार के पत्र व्यवहार पर कोई कार्यवाही नही की जायेगी और न ही चयन नहीं किये जाने के कारण से उन्हें सूचित किया जावेगा।

भामाशाह/प्रेरक आवेदन की तिथियां व आवेदन प्रकिया:–

1. निम्न तय कार्यक्रम अनुसार भामाशाह व प्रेरक अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। निर्धारित तिथि के बाद भामाशाह व प्रेरकों के आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेगें। प्राप्त आवेदनों को निर्धारित कार्यक्रम अनुसार जिला व राज्य स्तर से कार्य सम्पादन किया जावेगा।

क्र.स.	प्रस्तावित कार्य योजना	दिवस	दिनांक
1	भामाशाहों द्वारा आवेदन करने हेतु समय अवधि	20	19.07.2022 से 07.08.2022
2	प्रेरकों द्वारा आवेदन करने हेतु समय अवधि	25	19.07.2022 से 12.08.2022
3	आवेदन जांच जिला स्तर पर नोडल अधिकारी जि.शि. अ. प्रा.शि./माध्य.शि.	15	13.08.2022 से 27.08.2022
4	प्राप्त आवेदनों की निदेशालय स्तर पर जांच	10	28.08.2022 से 06.09.2022
5	चयन समिति द्वारा आवेदन पत्रों की जांच पश्चात् सूची आदि तैयार करना	05	07.09.2022 से 11.09.2022
6	चयनित/पात्र भामाशाहों/प्रेरकों की सूची अनुमोदन हेतु शासन को प्रेषित	—	
7	राज्य/जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आयोजन		

2. इस वर्ष भामाशाह सम्मान समारोह हेतु स्कूल शिक्षा विभाग के विद्यालयों हेतु किये गये सहयोग हेतु ज्ञान संकल्प पोर्टल (www.gyansankalp.nic.in) के माध्यम से वित्तीय वर्ष अनुसार केवल ऑनलाईन ही आवेदन स्वीकार किये जाऐंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के विद्यालयों में किये गए सहयोग हेतु ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेगे।
3. कॉलेज शिक्षा/संस्कृत शिक्षा के महाविद्यालयों/विद्यालयों में उपरोक्त मानदण्डानुसार सहयोग करने वाले दानदाताओं व प्रेरित करने वाले प्रेरकों के आवेदन वित्तीय वर्ष अनुसार ऑफलाईन ही निर्धारित प्रकिया के द्वारा स्वीकार किये जायेगे। वे ज्ञान संकल्प पोर्टल प्रदर्शित भामाशाह/प्रेरक हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकेगे।
4. भामाशाह/प्रेरक के लिए ऑनलाईन/ऑफलाईन आवेदन प्रपत्र भरने से सम्बन्धित दिशा–निर्देश संलग्न है जो कि ज्ञान संकल्प पोर्टल (www.gyansankalp.nic.in) पर उपलब्ध भी है।

संलग्नक:–

संलग्नक–1	भामाशाह आवेदन प्रारूप
संलग्नक–2	भामाशाह आवेदन प्रपत्र भरने सम्बन्धित दिशा–निर्देश
संलग्नक–3	प्रेरक आवेदन प्रारूप
संलग्नक–4	प्रेरक आवेदन प्रपत्र भरने सम्बन्धित दिशा–निर्देश

भामाशाह/प्रेरक आवेदन को प्राप्त करने से अनुमोदन तक की प्रक्रिया--

भामाशाह/प्रेरकों द्वारा कार्यक्रम अनुसार निम्न कार्य सम्पादित किये जाऐगे--

01. भामाशाह/दानदाता द्वारा ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन करना।

02. भामाशाह/दानदाता द्वारा अपने ऑनलाईन आवेदन के साथ दस्तावेज अपलोड करना व प्रोजेक्ट अनुसार प्रेरकों को नामित करना।

03. प्रेरक नामित होने पर ही प्रेरक द्वारा ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से ऑन लाईन आवेदन करना।

विद्यालय/ब्लॉक/जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों द्वारा तय कार्यक्रम अनुसार निम्न कार्य सम्पादित किये जाऐगे--

भामाशाह/दानदाता आवेदन के सम्बन्ध में--

01. ज्ञान संकल्प पोर्टल से जिले नोडल द्वारा जिले वार प्राप्त आवेदनों को अपने लॉगिन के माध्यम से दस्तावेज सहित डाउनलोड करना।

02. जिला नोडल द्वारा आवश्यकतानुसार संस्था प्रधानों को ऑफलाईन प्रेषित कर कार्य व दस्तावेज का प्रमाणीकरण करवाना व विद्यालय वार अभिशंषा प्राप्त करना।

03. जिले नोडल द्वारा अपने लॉगिन पर आवेदनों का विद्यालयों से प्राप्त अभिशंषा के आधार पर जांच कर निरस्तीकरण अथवा अनुमोदन व अभिशंषा करना तथा उसके उपरान्त निर्णयानुसार हस्ताक्षरित आवेदनों को अपने लॉगिन से पोर्टल पर अपलोड कर अग्रेषित करना। (केवल आवेदन व निर्णय के सम्बन्ध दस्तावेज को ही अपलोड किया जाना है। भामाशाह/दानदाता द्वारा संलग्न दस्तावेज को नहीं क्योंकि वे पहले से पोर्टल पर उपलब्ध है।)

04. यदि किसी भी भामाशाह द्वारा एक प्रोजेक्ट में एक जिले से ज्यादा के विद्यालयों को समाहित किया है तो प्रत्येक जिले द्वारा अपने-अपने क्षेत्र के विद्यालयों की अभिशंषा कर अग्रेषित करना।

05. जिलो से अग्रेषित आवेदन राज्य स्तर पर निदेशालय पर प्राप्त होंगें। राज्य स्तर पर उनका परीक्षण करना तथा ऑफलाईन राज्य सरकार को प्रेषित करना।

प्रेरक आवेदन के सम्बन्ध में--

06. ज्ञान संकल्प पोर्टल से जिले नोडल द्वारा प्रेरकों हेतु प्राप्त आवेदनों को अपने लॉगिन के माध्यम से दस्तावेज सहित डाउनलोड करना।

07. जिले नोडल द्वारा अपने लॉगिन पर प्रेरक आवेदनों का विद्यालयों से प्राप्त अभिशंषा के आधार पर जांच कर निरस्तीकरण अथवा अनुमोदन व अभिशंषा करना तथा उसके उपरान्त निर्णयानुसार हस्ताक्षरित प्रेरक आवेदनों को अपने लॉगिन से पोर्टल पर अपलोड कर

अग्रेषित करना। (केवल आवेदन व निर्णय के सम्बन्ध दस्तावेज को ही अपलोड किया जाना है। प्रेरको द्वारा संलग्न दस्तावेज को नहीं क्योंकि वे पहले से पोर्टल पर उपलब्ध है।)

08. यदि विभिन्न भामाशाहो द्वारा एक प्रोजेक्ट में एक जिले से ज्यादा के विद्यालयों को समाहित किया है तो प्रत्येक जिले द्वारा अपने--अपने क्षेत्र के विद्यालयों की अभिशंषा कर अग्रेषित करना।

09. जिलो से अग्रेषित आवेदन राज्य स्तर पर निदेशालय पर प्राप्त होंगें। राज्य स्तर पर उनका परीक्षण करना तथा ऑफलाईन/ऑनलाईन राज्य सरकार को प्रेषित करना।

राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी द्वारा तय कार्यक्रम अनुसार निम्न कार्य सम्पादित किये जाऐंगे–

01. राज्य स्तर पर प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय (नोडल अधिकारी) पर जिलो से प्राप्त ऑनलाईन/ऑफलाईन अग्रेषित आवेदन प्राप्त होगें। प्राप्ति पश्चात् राज्य स्तर पर उनका परीक्षण करना तथा चयनित/पात्र भामाशाहों/प्रेरकों की सूची अनुमोदन हेतु शासन को प्रेषित करना।

02. आवेदन प्रकिया प्रारंभ होने से समारोह समाप्ति तक की प्रकिया की मॉनिटरिंग करना तथा आवश्यकतानुसार निर्देश प्रदान करना।

भामाशाह व प्रेरक आवेदन हेतु सहायता केन्द्र–

भामाशाह द्वारा ऑनलाईन/ऑफलाईन आवेदन के सम्बन्ध मे किसी प्रकार के सहयोग हेतु माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर व राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् कार्यालय जयपुर को ई–मेल schoolbhamashah@gmail.com पर किया जा सकेगा।

(गौरव अग्रवाल)
I.A.S
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एंव
पं. राज (प्राशि) विभाग
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/प्रारं/साप्र/2773/भामाशाह/2022 दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर।
7. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं पंचायत राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

8. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
9. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. उपशासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर।

12. सिस्टम एनालिस्ट, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान, बीकानेर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
13. प्रभारी, विभागीय वेबसाइट, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

संलग्न-1

राज्य/जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह हेतु प्रस्ताव भामाशाह के लिए प्रारूप

(सहयोग अवधि: वित्तीय वर्ष .... दिनांक 01–04–....... से दिनांक 31–03–....... तक)

(वित्तीय वर्ष में दिये गये सहयोग राशि या सामान/वस्तु/भौतिक कार्य की लागत राशि के आधार पर कार्य की पूर्णता के आधार पर किया जावे, कार्य के प्रारंभ/प्रस्ताव दिनांक के आधार पर नहीं किया जावे)

ए.	**भामाशाह/दानदाता की सामान्य जानकारी**		
1.	**भामाशाह/दानदाता का प्रकार:** व्यक्तिगत (भारतीय निवासी)/व्यक्तिगत (गैर भारतीय)/कम्पनी/एनजीओ या संस्थाएँ		
2.	कम्पनी/एनजीओ या संस्था की स्थिति में ही निम्न विवरण इन्द्राज करें (ज्ञान संकल्प पोर्टल पर आवेदन के समय कम्पनी/संस्था के प्राफाइल से स्वतः प्रदर्शित होगा)		
	अ– कम्पनी/एनजीओ या संस्था का नाम		
	आ– कम्पनी/एनजीओ या संस्था का रजिस्ट्रेशन नम्बर		कम्पनी/संस्था का लोगो
	इ– कम्पनी/एनजीओ या संस्था की रजिस्ट्रेशन दिनांक		
	ई– कम्पनी/एनजीओ या संस्था का रजिस्टर्ड पता		
	उ– कम्पनी/एनजीओ या संस्था का सम्पर्क सूत्र– नाम, फोन नम्बर, ई–मेल		
3	भामाशाह/दानदाता व्यक्तिगत विवरण (कम्पनी/एनजीओ या संस्था की स्थिति में कम्पनी के निदेशक/कार्यकारी अधिकारी/मालिक/अन्य अधिकारी की जानकारी इन्द्राज जिनका नाम/फोटो प्रशस्ति पर अंकित की जाएगी)		
	अ– भामाशाह का नाम		
	आ– भामाशाह के पिता/पति का नाम		भामाशाह/दानदाता का नवीनतम फोटो
	इ– जाति		
	ई– जन्म दिनांक (दिन/माह/वर्ष में अंकित करें)		
	उ– मोबाइल नम्बर		
	ऊ– ई–मेल		
	ए– वर्तमान/स्थायी पता		
	ऐं– शैक्षणिक योग्यता		
	ऐ– जॉब प्रोफाइल पद सहित		
4.	भामाशाह/दानदाता का पत्र व्यवहार का पता (विभाग द्वारा पत्र व्यवहार अंकित पते पर किया जावेगा)		
बी	भामाशाह द्वारा विद्यालयों में किये गये सहयोग का विवरण		

अ– ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से किये गये सहयोग का विवरण (ज्ञान संकल्प पोर्टल पर स्वतः प्रदर्शित होगी)

क्र. सं.	प्रोजेक्ट/श्रेणी	ट्रांजेक्शन आईडी/चेक सं./डीडी सं.	ज्ञा.सं. पोर्टल आईडी	स्कूल शाला दर्पण कोड	अनुमानित लागत	अन्तिम लागत	ट्रांजेक्शन/कार्य पूर्णता दिनांक	जिला	विद्यालय विवरण
1									
2									

आ– ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम के अतिरिक्त सीधे विद्यालयों को किये गये सहयोग का विवरण (जिले वार अंकित करें)

क्र. सं.	प्रोजेक्ट का नाम	ट्रांजेक्शन आईडी/चेक सं./डीडी सं./लागू नहीं	ज्ञा.सं. पोर्टल आईडी	स्कूल शाला दर्पण कोड	अनुमानित लागत	अन्तिम लागत	ट्रांजेक्शन/कार्य पूर्णता दिनांक	जिला	विद्यालय विवरण
1									
2									

इ– कुल सहयोग/लागत राशि **(रूपये लाखों में)**	रु. .... लाख
ई– यदि विद्यालय के सम्पूर्ण भवन का निर्माण कराया गया है तो क्या निर्मित भवन का विधिवत दान पत्र विभाग के पक्ष में लिखा जा चुका है।	हाँ/नहीं ....

9A

5.	भामाशाह द्वारा किये गये सहयोग हेतु प्रेरित करने वाले प्रेरक की जानकारी (विभिन्न प्रोजेक्ट/विकास कार्यों के अनुसार भरें)						
	प्रेरक का प्रकार (स्कूल शिक्षा विभाग/स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त)	एम्पलोई यदि हो तो	नाम	मोबाइल नम्बर	आईडी का प्रकार (पैन/आधार/पासपोर्ट)	आईडी संख्या	प्रोजेक्ट विवरण जिस हेतु नामित किया है।

सी	अन्य जानकारी व प्रमाणिकरण	
6.	भामाशाह/दानदाता द्वारा सम्मान लेने हेतु स्वयं उपस्थित ना होने की स्थिति में समारोह में भेजे जाने वाले प्रतिनिधि का विवरण	नाम: पद: मोबाइल नम्बर:
7.	शिक्षा विभाग के अतिरिक्त भामाशाह द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र/हित में सहयोग अवधि में किये गए अन्य महत्वपूर्ण सहयोगों का विवरण	
8.	दानदाता के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई आपराधिक मामला न्यायालय में विचाराधीन है या नहीं।	हां/नहीं .... यदि हां तो विवरण ....
9.	संक्षिप्त परिचय **(कम्पनी/संस्था होने की स्थिति में कम्पनी/संस्था से सम्बन्धित विवरण लिखें)**	
10.	सम्मान के सम्बन्ध में सम्बन्धित दस्तावेज संलग्न करें।	फाइल संलग्न करें।

☐ प्रमाणित किया जाता है कि मेरे विरूद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक वाद किसी भी न्यायालय/पुलिस थाना में विचाराधीन नही है/दर्ज नहीं है।

☐ प्रमाणित किया जाता है कि दानदाता द्वारा उल्लेखित सहयोग राशि की पुष्टि दस्तावेजों से कर ली गई है। मेरी जानकारी में उपर्युक्त तथ्य पूर्णतया सत्य है। यदि उपर्युक्त सूचना में किसी प्रकार की त्रुटि की समस्त जिम्मेदारी मेरी स्वयं की है।

दिनांक:

हस्ताक्षर भामाशाह ....
नाम भामाशाह ....
(कम्पनी/संस्था की स्थिति में कार्यकारी अधिकारी)

राज्य / जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह हेतु प्रस्ताव भामाशाह के लिए प्रारूप

(सहयोग अवधि: वित्तीय वर्ष ...., दिनांक 01–04–......... से दिनांक 31–03–......... तक)

संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणिकरण

(यह प्रमाणिकरण जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा अपने स्तर से करवाया जाएगा, इसकी शाला संबलन पोर्टल पर किसी भी प्रकार का इन्द्राज नहीं किया जा सकेगा।)

प्रमाणित किया जाता है कि दानदाता ....द्वारा उल्लेखित सहयोग राशि की पुष्टि संबंधित दस्तावेज से कल ली गई है। उपरोक्त विवरण सही है, गलत पाये जाने पर निम्न हस्ताक्षकर्त्ता उत्तरदायी है।

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर
मय मोहर

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य./प्रार.)/अति. जिला परियोजना समन्वयक द्वारा प्रमाणिकरण

प्रमाणित किया जाता है कि दानदाता द्वारा उल्लेखित सहयोग राशि की पुष्टि संबंधित दस्तावेज से कल ली गई है, भामाशाह के प्रस्ताव की जांच करली गई है। जांचोपरान्त उपरोक्त उल्लेखित विवरण सही पायें गये। अतः इनका नाम राज्य/जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान के चयन हेतु प्रस्तावित किया जाता है।

हस्ताक्षर सम्बन्धित जि.शि.अ./अ.जि.प.स.
मय मोहर

(उपरोक्त प्रमाणिकरण में भामाशाह द्वारा सम्मान हेतु उपरोक्त प्रस्ताव में सिविल कार्य शामिल है तो प्रमाणकर्ता सिविल शाखा से आवश्यक रूप से प्रमाणिकरण के पश्चात् प्रमाणित करें।)

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पदेन जिला परियोजना समन्वयक द्वारा अभिशंषा

प्रमाणित किया जाता है कि दानादाता द्वारा उल्लेखित सहयोग राशि की पुष्टि संबधित दस्तावेज से कल ली गई है, भामाशाह के प्रस्ताव की जांच करली गई है। जांचोपरान्त उपरोक्त उल्लेखित विवरण सही पाये गये। अतः इनका नाम राज्य/जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान के चयन की अभिशंषा की जाती है।

हस्ताक्षर सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
मय मोहर

राज्य/जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह हेतु प्रस्ताव भामाशाह के लिए प्रारूप

(सहयोग अवधिः वित्तीय वर्ष .... दिनांक 01–04–.......... से दिनांक 31–03–.......... तक)

संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणिकरण

1. कम्पनी/भामाशाह/दानदाता का नाम: ....
2. विद्यालय का नाम शाला दर्पण कोड सहित: ....
3. ब्लॉक व जिले का नाम: ....(कोड................)
4. प्रस्ताव के अनुसार विद्यालय में दान की गई राशि/भौतिक कार्य/ वस्तु का लागत मूल्य ....
5. संस्था प्रधान द्वारा उपरोक्त अंकित अवधि में दस्तावेजों के आधार पर दान की गई राशि/भौतिक कार्य/वस्तु का लागत मूल्य का प्रमाणिकरण निम्न प्रकार किया जाता है–

क्र.सं.	विद्यालय में दान की गई राशि/वस्तु/भौतिक कार्य का लागत मूल्य	यदि स्थाई साज/सामान के रूप में सहयोग किया है तो स्टॉक इन्द्राज का विवरण
1		स्टॉक पंजिका संख्या .... के पेज सं. .... पर इन्द्राज
2		स्टॉक पंजिका संख्या .... के पेज सं. .... पर इन्द्राज
3		स्टॉक पंजिका संख्या .... के पेज सं. .... पर इन्द्राज
4		स्टॉक पंजिका संख्या .... के पेज सं. .... पर इन्द्राज
5		स्टॉक पंजिका संख्या .... के पेज सं. .... पर इन्द्राज
6		स्टॉक पंजिका संख्या .... के पेज सं. .... पर इन्द्राज
7		स्टॉक पंजिका संख्या .... के पेज सं. .... पर इन्द्राज
8		स्टॉक पंजिका संख्या .... के पेज सं. .... पर इन्द्राज
9		स्टॉक पंजिका संख्या .... के पेज सं. .... पर इन्द्राज
10		स्टॉक पंजिका संख्या .... के पेज सं. .... पर इन्द्राज
	सहयोग राशि का योग	स्टॉक पंजिका संख्या .... के पेज सं. .... पर इन्द्राज
	सहयोग राशि का योग अक्षरों में	

प्रमाणित किया जाता है कि दानदाता ....द्वारा उल्लेखित सहयोग राशि की पुष्टि संबंधित दस्तावेज से कर ली गई है। उपरोक्त विवरण सही है, गलत पाये जाने पर निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता उत्तरदायी है।

हस्ताक्षर संस्था प्रधान
मय सील
संस्था प्रधान का नाम ....

कनिष्ठ/सहायक अभियन्ता
का हस्ताक्षर मय मोहर
नाम:..............................

संलग्नक - 2

राज्य/जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह हेतु प्रस्ताव भिजवाने हेतु दिशा–निर्देश

सामान्य दिशा–निर्देश:–

1. भामाशाह सम्मान आयोजन के सम्बन्ध में प्रतिवर्ष आयोजन हेतु निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा नोडल एजेन्सी है। भामाशाह सम्मान हेतु निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार समस्त प्रक्रिया संधारित की जावेगी एवं भामाशाह व प्रेरकों हेतु पात्रता निर्धारित होगी।

2. विद्यालय भामाशाह योजना के लिये राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश क्रमांक प.17(11) शिक्षा–6/2010/पार्ट दिनांक 13–03–2018 के अनुसार ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से किये गये एवं जिला/ब्लॉक/विद्यालय के माध्यम से विद्यालयों को सीधे ही किये गये सहयोग राशि/वस्तु या सामान/भौतिक संरचना की लागत राशि के आधार पर राज्य/जिला स्तरीय सम्मान प्रदान किया जावेगा।

3. राज्य सरकार के दिशा–निर्देश क्रमांक प.17(11)शिक्षा–6/2010/पार्ट दिनांक 25–04–2022 की अनुपालना में ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से इस हेतु ऑन लाईन प्रस्ताव प्राप्त किये जा रहे है। ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से भामाशाह द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21 व 2021–22 में किये गये विकास कार्यों हेतु प्रस्ताव केवल ऑन–लाईन ही प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

4. प्रत्येक वर्ष के लिए अलग–अलग आवेदन किया जावेगा। एक वर्ष के लिए एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा।

5. विशेष परिस्थितियों में ही भामाशाहों द्वारा ऑफ–लाईन आवेदन निर्धारित प्रारूप में निर्धारित के अनुसार प्रस्तुत किये जा सकेगें।

6. प्रस्तुत प्रस्तावों में वर्षवार राशि का निर्धारण, किसी भी वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च तक का) में विद्यालयों को सीधे ही या ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से दी गई राशि, वस्तु/सामान लागत मूल्य के आधार पर किया जावेगा। भौतिक संरचना की स्थिति में संरचना बनाकर विद्यालय को सुपुर्द करने उपरान्त पर राशि का निर्धारण होगा।

7. भामाशाहों व प्रेरकों को प्रस्ताव देने से पूर्व रजिस्टर करना आवश्यक होगा। रजिस्टर करने के उपरान्त भामाशाह/प्रेरक को अपनी प्रोफाइल पूर्ण/अपडेट करना चाहिए जिससे भामाशाह प्रस्तावों में स्वतः ही प्रोफाइल से प्रदर्शित होने वाली समस्त सूचनाऐं सही रूप से प्रदर्शित हो सके।

8. भामाशाहों द्वारा प्रस्तुत किये जाने प्रस्तावों मे ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से किये गये सहयोग का विवरण स्वतः ही प्रदर्शित होगा। विद्यालयों को सीधे किये गये सहयोग हेतु प्रविष्टि किये जाने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। अतः भामाशाह अपने समस्त प्रकार के सहयोगों का प्रस्ताव में आवश्यक रूप से इन्द्राज करें जिससे वार्षिक सहयोग राशि का सही आकलन हो सके। कृपया दोहरी प्रविष्टि करने से बचें।

9. यदि किसी भामाशाह/दानदाता द्वारा भामाशाह व प्रेरक दोनों रूपों में प्रस्ताव प्रस्तुत करता है तथा दोनों के लिये पात्रता रखता है तो उसे भामाशाह/प्रेरक के रूप में एक ही सम्मान दिया जावेगा।

10. ऑन–लाईन आवेदन भामाशाहों/प्रेरकों की समय व श्रम की बचत हेतु लिया जा रहा है। इस क्रम में किसी भी विवाद की स्थिति में निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा का निर्णय अंतिम होगा।